संख्या-100/

संख्या– 872/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2021

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न मदों/कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–10 के पत्र संख्या–824/एक–10–2021– 33(221)/2011 टीसी–3, दिनांक 10.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 10 जनपदों को मेडिकल कन्ज्युमेबिल्स/मेडिकल इक्युपमेंट आदि क्रय करने के लिए रू0 850.00 लाख आवंटित की गई तथा पत्र संख्या–861/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–3, दिनांक 15.04.2021 द्वारा शेष 65 जनपदों को उक्त हेतु रू0 650.00 लाख की धनराशि आवंटित/स्वीकृत की गई है।

2– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 33–04/2020–एनडीएम–1 दिनांक 15.04.2021 द्वारा कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत महामारी से रोकथाम एवं बचाव हेतु गाइड लाइन निर्गत की गई है। उक्त के आलोक में उपरोक्त आदेश दि0 10.04.2021 एवं 15.04.2021 को **अतिक्रमित करते हुए** नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु निम्न मदों/कार्यो हेतु धनावंटन किया जा रहा है :–

(1) मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स यथा– दवाएं, पीपीई किट, एन–95 मास्क, होम मेडिकल किट, थर्मल स्कैनर, आक्सीजन सिलेण्डर आदि।

(2) कोविड टेस्टिंग किट (स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर निजी लैब में टेस्टिंग सहित)।

(3) सर्विलान्स एवं स्क्रीनिंग ऑपरेशन एवं कान्टैक्ट ट्रेसिंग अनुमन्य गतिविधियों में वाहन किराए पर लेना सम्मिलित होगा, जिससे सर्विलांस, सैम्पलिंग एवं आरआरटी गतिविधियॉ निर्वाध रूप से चलती रहें। ए श्रेणी के जनपद में अधिकतम् 15 वाहन तथा बी/सी श्रेणी के जनपद में अधिकतम् 10 वाहन किरए पर ले सकेगें। सभी वाहन पर व्यय सभी खर्चों एवं टैक्स सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टेडर दर से अधिक नही अनुमन्य होगा।

(4) स्वास्थ्य/गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेन्ट ऑपरेशन हेतु।

(5) सर्विलान्स एवं स्क्रीनिंग कार्य के लिए यथा डाटा इन्ट्री जैसी आवश्यक सेवाएं आउटसोर्सिंग पर अनुमन्य होगी किन्तु मानव सेवा यथा– चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा लैब टेक्निशियन आदि की संविदा की सेवाएं अनुमन्य नही होगी। इन पर होने वाला व्यय एनएचएम से वहन किया जाएगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मदों/कार्यो हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 2,25,00,00,000/– **(रूपये दो अरब पच्चीस करोड़ मात्र)** की धनराशि अग्रिम रूप से जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	मेरठ	**500.00**
2	गाजियाबाद	**500.00**

3	गौतमबुद्धनगर	**500.00**
4	आगरा	**500.00**
5	अलीगढ़	**500.00**
6	बरेली	**500.00**
7	मुरादाबाद	**500.00**
8	कानपुर नगर	**500.00**
9	प्रयागराज	**500.00**
10	झांसी	**500.00**
11	वाराणसी	**500.00**
12	आजमगढ़	**500.00**
13	गोरखपुर	**500.00**
14	लखनऊ	**500.00**
15	अयोध्या	**500.00**
16	कासगंज	200.00
17	हाथरस	200.00
18	मुजफ्फरनगर	**500.00**
19	बदायूँ	200.00
20	शाहजहॉपुर	200.00
21	पीलीभीत	200.00
22	बुलन्दशहर	200.00
23	रामपुर	200.00
24	बिजनौर	200.00
25	अमरोहा	200.00
26	सम्भल	200.00
27	शामली	200.00
28	कानपुर देहात	200.00
29	इटावा	200.00
30	फर्रूखाबाद	200.00
31	कन्नौज	200.00
32	औरैया	200.00
33	बागपत	200.00
34	फतेहपुर	200.00
35	प्रतापगढ़	200.00
36	कौशाम्बी	200.00
37	सहारनपुर	**500.00**
38	ललितपुर	**500.00**
39	जालौन	200.00
40	हमीरपुर	200.00
41	महोबा	200.00
42	बांदा	**500.00**
43	चित्रकूट	200.00
44	मथुरा	**500.00**
45	जौनपुर	**500.00**
46	गाजीपुर	200.00

47	चन्दौली	200.00
48	मीरजापुर	200.00
49	सोनभद्र	200.00
50	भदोही	200.00
51	फिरोजाबाद	200.00
52	मऊ	200.00
53	बलिया	200.00
54	मैनपुरी	200.00
55	महराजगंज	200.00
56	देवरिया	**500.00**
57	कुशीनगर	200.00
58	बस्ती	200.00
59	सिद्धार्थनगर	200.00
60	संत कबीरनगर	200.00
61	हापुड़	200.00
62	उन्नाव	200.00
63	रायबरेली	**500.00**
64	सीतापुर	200.00
65	हरदोई	200.00
66	खीरी	**500.00**
67	गोण्डा	200.00
68	बहराइच	200.00
69	बलरामपुर	200.00
70	श्रावस्ती	200.00
71	एटा	200.00
72	सुलतानपुर	200.00
73	बाराबंकी	**500.00**
74	अम्बेडकर नगर	200.00
75	अमेठी	200.00
	योग	**22500.00**
		(रूपये दो अरब पच्चीस करोड़ मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) औषधियों एवं मेडिकल उपकरणों के क्रय में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

(3) जिस गतिविधि/कार्यों/मद हेतु एन0एच0एम0 में धनराशि उपलब्ध है, उन मदों में इस धनराशि से व्यय नही किया जाएगा।

(4) उक्त आवंटित/स्वीकृत धनराशि का व्यय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति यथा– 1)मुख्य चिकित्साधिकारी 2) जहॉ मेडिकलज कालेज होगें, वहॉ के प्रधानाचार्य, 3) मुख्य विकास अधिकारी, 4) प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अथवा नगर निगम होने की दशा में नगर आयुक्त तथा 5) कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी की संस्तुति पर किया जाएगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

17/4/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–872(1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9– समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।